न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारीः राजकुमार कस्वां, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 01/2022, गुण्डा एक्ट

1. सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक, दौसा जिला दौसा ।

बनाम

1. गैर सायल लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री घूडमल जाति कोली निवासी पुरानी तहसील के पास महवा थाना महवा जिला दौसा।

(कार्यवाही अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975)

उपस्थिति : लोक अभियोजक – राजकीय अधिवक्ता उपस्थित ।
: श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा अधिवक्ता गैर सायल बहस के दौरान उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांकः– 27.09.2023

प्रस्तुत इस्तगासा थानाधिकारी पुलिस थाना महवा जिला दौसा की ओर से पुलिस अधीक्षक दौसा के जरिये प्राप्त होकर सुनवाई के लिए इस न्यायालय में दर्ज किया गया। मुताबिक इस्तगासा संक्षिप्त वाक्यात इस प्रकार से है कि गैर सायल लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री घूडमल जाति कोली निवासी पुरानी तहसील के पास महवा थाना महवा जिला दौसा के विरूद्ध निम्नानुसार मुकदमे दर्ज होकर चालान अदालत में पेश हुआ है। उक्त आपराधिक प्रकरणों का विवरण निम्न प्रकार है।

क्र. स.	मुकदमा संख्या	तारीख रजू	धारा	चार्जशीट सं.	दिनांक	निर्णय अदालत
1.	359/21	09.06.2021	13 RPGO	138/21	16.06.2021	सजा 19.07.2021 100/–अर्थदण्ड
2.	489/21	07.08.2021	13 RPGO	258/21	12.08.2021	सजा 13.08.2021 200/–अर्थदण्ड
3.	690/21	15.11.2021	13 RPGO	400/21	25.11.2021	सजा 26.11.2021 200/–अर्थदण्ड

उक्त शख्स लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री घूडमल जाति कोली निवासी पुरानी तहसील के पास महवा थाना महवा जिला दौसा जुआं खेलने का आदि है तथा अन्य लोगो को भी जुंआ खेलने के लिये प्रेरित करता है। वर्तमान में इसकी आपराधिक गतिविधियां निर्बाध रूप से जारी है। जिसके कारण गैर सायल के विरूद्ध आमजन शिकायत करने से भी डरते है। उक्त गैर सायल के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख) के अन्तर्गत इस्तगासा पेश कर राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 3 के तहत जिले से निष्कासन की कार्यवाही करने का निवेदन किया गया है। जिससे आम जन को जुआं के दुष्प्रेरण से बचाया जा सके।

इस्तगासा दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैर सायल द्वारा उपस्थित होकर जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अधिवक्ता लोक अभियोजक एवं अधिवक्ता गैर सायल की बहस सुनी गई।

लोक अभियोजक द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया की गैर सायल अपराधी के विरूद्ध विगत वर्षो में तीन आपराधिक प्रकरण धारा 13 RPGO के तहत दर्ज किये गये है। जिनमें गैर सायल को तीनो अपराधों में सजा हुई है। गैर सायल लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री घूडमल जुआं खेलने का आदि है। थानाधिकारी पुलिस थाना महवा की रिपोर्ट के अनुसार भी गैर सायल थाना क्षेत्र महवा में आदतन जुंआ खेलने का आदि है तथा रूपये पैसो का दांव लगाकर सार्वजनिक स्थानो परजुआं/सट्टेबाजी करता हुआ कई बार पकडा गया है। उक्त अपराध एक ऐसा अपराध है। जिसके कारण समाज के नवयुवक वर्ग को खोखला कर दिया है। उक्त गैर सायल को बार–बार सट्टे की खाईवाली करते हुये एवं जुंआ खेलते हुये गिरफ्तार करने एवं उसके विरूद्ध चालान न्यायालय में पेश करने एवं न्यायालय द्वारा गैर सायल को दोषी करार कर अर्थदण्ड से दण्डित करने के बावजूद भी वह अपनी हरकतों व आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश नहीं लगा रहा है

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बल्कि बिना किसी कानून के भय के लगातार इसी अपराध को आदतन रूप से करता चला आ रहा है।जिससे एक और जहां वह स्वयं को ईलाके का सट्टा किंग घोषित कर आम जनता में भय का माहौल उत्पन्न कर रहा है। वही अपने लाभ के लिये युवा पीढी को इस अपराध में धकेल रहा है। जिसके कारण आम नागरिक उसके विरूद्ध ना तो साक्ष्य देना चाहता है और ना ही उसके भय के कारण उसकी शिकायत कर रहा है। अतः उक्त शख्स को आदतन अपराधी मानते हुये राजस्थान गुण्डा एक्ट अधिनियम के तहत गुण्डा घोषित किया जाकर धारा 3 के तहत जनहित में दौसा जिले की सीमाओं से निष्कासित किया जाना आवश्यक है। ताकि उक्त शख्स की आपराधिक गतिविधियों पर रोक लग सके एवं आम जन को जुआ–सट्टा के दुष्प्रेरण से बचाया जा सके।

अधिवक्ता गैर सायल द्वारा बहस के दौरान गैर सायल की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरे विरूद्ध गलत तथ्यों के आधार पर पुलिस अधीक्षक दौसा द्वारा यह इस्तगासा प्रस्तुत किया गया है। पुलिस थाना महवा में मेरे विरूद्ध दर्ज तीनो प्रकरण जो कि 13 आरपीजीओ से सम्बन्धित है। जिनमें मैने सम्बन्धित न्यायालय में लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकार किया है। जिसके आधार पर न्यायालय द्वारा मुझ पर जुर्माना राशि अधिरोपित कर प्रकरण का निस्तारण कर दिया। किन्तु इसके बावजूद भी पुलिस थाना महवा ने सरासर गलत तरीके से श्रीमान पुलिस अधीक्षक दौसा के समक्ष रिपोर्ट पेश की एवं गलत आधारो पर गुण्डा एक्ट में मेरे विरूद्ध इस्तगासा प्रस्तुत कर दिया। गैर सायल महवा जयपुर बस स्टैण्ड पर मूंगफली का ठेला लगाकर मूंगफली बेचने का कार्य करता है जो कि सीधे रास्ते घर से आकर ठेला लगाता है तथा शाम को सीधे अपने घर जाता है। प्रार्थी किसी भी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त नही रहा है। ना ही गैर सायल के विरूद्ध कोई संगीन धाराओं में कोई प्रकरण दर्ज हुआ है। मात्र 13 आरपीजीओ में ही गैर सायल के विरूद्ध प्रकरण दर्ज है। गैर सायल कानून में विश्वास रखने वाला व्यक्ति है तथा सीधा सादा व्यक्ति है, जो बमुश्किल अपने परिवार का पालन पोषण करता है। अतः गैर सायल के विरूद्ध प्रस्तुत इस्तगासा निरस्त फरमाते हुये गुण्डा एक्ट में की जाने वाली कार्यवाही ड्रोप फरमाई जावे।

लोक अभियोजक एवं अधिवक्ता गैर सायल की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट है कि थाना अधिकारी महवा द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा में गैर सायल अपराधी के विरूद्ध दर्ज प्रकरणों में तीन अपराधों में सजा हुई है। पुलिस अधीक्षक दौसा द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा अनुसार गैर सायल लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री घूडमल जाति कोली निवासी पुरानी तहसील के पास महवा थाना महवा जिला दौसा जुंआ खेलकर आपराधिक प्रवृत्तियों में लिप्त होने के कारण उक्त अधिनियम के तहत गुण्डा की श्रेणी में आता है। वर्तमान में जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए आमजन को जुआ–सट्टे के अपराध के दुष्प्रेरण से बचाने एवं युवाओ को जुंए सट्टे की लत से बचाने के लिये ऐसे आदतन अपराधी के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा एक्ट 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत निष्कासन की कार्यवाही किया जाना आवश्यक है ताकि ऐसे अपराधी समाज के माहौल को खराब नहीं कर सके एवं समाज में शांति एवं सदभावना बनी रहे।

उपरोक्त विवेचनानुसार गैर सायल लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री घूडमल जाति कोली निवासी पुरानी तहसील के पास महवा थाना महवा जिला दौसा को दिनांक 28.09.2023 से 30(तीस) दिवस की समयावधि के लिए दौसा जिले की सीमाओं से निष्कासित किया जाता है एवं निर्देशित किया जाता है कि गैर सायल बीकानेर –आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग होते हुये थाना भुसावर जिला भरतपुर पहुंचेगा तथा अपनी उपस्थिति थानाधिकारी थाना भुसावर जिला भरतपुर को दर्ज करवाएगा। निष्कासित समयावधि में गैर सायल थाना क्षेत्र भुसावर जिला भरतपुर में निवास करते हुए प्रत्येक बुधवार को थानाधिकारी भुसावर जिला भरतपुर के समक्ष अपनी उपस्थिति देगा। पुलिस अधीक्षक दौसा एवं भरतपुर को पालना हेतु आदेश की प्रति भिजवाई जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(राजकुमार कस्वां)
अति. जिला मजिस्ट्रेट ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 27.09.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(राजकुमार कस्वां)
अति. जिला मजिस्ट्रेट ,दौसा